

12

अपर में इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 बाद भी अपन नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर कभी भी रहन बच या अन्य किसी प्रकार से मुक्तकाल कर सकते है इसलिये वादीया प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 1 की मानसिक स्थिति सही नहीं है वह प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की आधिकारी है

खतदाखी आधिकारों का हनन होना है वादीया अपन एक हिस्सा की भी अपन नाम से लेकिन राजस्व रिकार्ड में बाद भी वादीया के नाम से दर्ज नहीं होने के कारण वादीया के वादीया एवं प्रतिवादीगण अपन एक हिस्सा की भी को कायम करते आ रहे है अपन पिता के साथ बहिब का एक हिस्सा है।

पर विरासन से प्राप्त हुई है जिसमें वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का जन्म से ही विवाहित भीम पूर्वक जददी जायदाद है जो प्रतिवादी न० 1 को अपन पिता के फल होने 1 वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का पिता परिवार का मुखिया एवं कर्ता खानदान है वादीया एवं प्रतिवादीगण सयुक्त हिन्दू खानदान परिवार के सदस्य है प्रतिवादी संख्या काबिल खतदाखी कायमकार है

रास्ता कुल 12.3970 हैव भीम से वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब 1/3 हिस्सा के किला न० 1, 2/0.5060 हैव प० न० 0 मु० न० 483/109 किला न० 0 कि 0.075 हैव प० न० 342/355(129) किला न० 1 ता 4, 7 ता 9, 12 ता 19, /3.7950 हैव प० न० 341/355(130) 342/355 (129) किला न० 1, ता 4, 7 ता 9, 12 ता 19 कुल 3.7950 हैव प० न० 7080 हैव, प० न० 342/354(122) किला न० 1 ता 3, 7 ता 14, 17 ता 24/4.8070 हैव प० न० 340/354(120) किला न० 25/0.253, प० न० 341/354(121) किला न० 15 ता 25/2. की सही मौजा तक 3 बरानी के प० न० 342/353(78) किला न० 23/0.253, प० न० राजस्थान कायमकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आदेश का पेश किया गया सक्षम में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जारिये अधिवक्ता यह बाद अन्तर्गत

निर्णय दिनांक :- 06/03/2020

उपस्थित : श्री हनुमन्त प्रसाद आधिवक्ता वादीया
 श्री महेश चन्द शर्मा आधिवक्ता प्रतिवादीगण
 प्रत्येक से राज

राजस्थान कायमकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 प्रतिवादीगण

1. मनीराम पुत्र जैवराम जाति नायक साकिन मलवाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. कल्याण पुत्र मनीराम जाति नायक निवासी मलवाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. जौहराम पुत्र मनीराम जाति नायक निवासी मलवाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. पृथ्वी पुत्र मनीराम जाति नायक साकिन मलवाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. विमला पुत्री मनीराम पत्नी मुखराम जाति नायक साकिन अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान राज्य जारिये तहसील नोहर राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. उप पत्नीयक नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

बनाम

वादीया

1. श्रीशर्मा पुत्री मनीराम पत्नी यानगराम जाति नायक निवासी अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- अनवान :-
 बाद सं० : 182 सं० 2014
 पीठासीन अधिकारी का नाम : श्रीश्री प्रवीण कोचर (आर०ए०ए०ए०)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपसुपडाधिकारी (राजस्व) नोहर

संख्या 1 को पारान्व कर्वाण की अधिकायी है कि वह वाद मूँस को रहन बेय या अन्य किस्मी प्रकार से मुताकिल नही करे ।
वादीया का वाद लिक्की किया जाकर येही मौजा तक 3 बारानी की कुँल 12.3970 हैव मूँस में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काइतकार है मूँस में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काइतकार है ।

संमान तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2, 3 को विहित समन की तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कायवाही की गई प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5 जसिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादीया के वाद में अतिकल तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब दोगा मय काउन्टर कलेम में पेश किया की तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब दोगा मय काउन्टर कलेम में पेश किया की

वादीया का वाद मूँस पर कब्जा नही है ना ही वादीया का वाद मूँस में कोई हक हिस्सा है कब्जा के अभाव में वादीया का वाद चलने योग्य नही है प्रतिवादीगण सिकाईह हिस्सा है कब्जा के अभाव में वादीया का वाद चलने योग्य नही है प्रतिवादीगण सिकाईह खातेदार काइतकार है वादीया को वाद लाने का अधिकार नही है वादीया ने जिस मूँस का दवा पेश किया है उसमें वादीया का कोई हक व हिस्सा नही है जेतराम सन 2005 से पूर्व फाल हुआ है जिस दिन जेतराम फाल हुआ है उस दिन मनीराम पुत्र जेतराम व कब्जा जेताराम, पुथी पि० मनीराम कका बहिब हिस्सा था इंसलिये मनीराम 1/4 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का 3/4 बहिब हिस्सा है इंसलिये वादीया का उक्त 1/4 हिस्सा में वादीया मात्र मनीराम के 1/4 हिस्सा के ही अपना हिस्सा की घोषणा करवा पाने की अधिकायी है जसिये काउन्टर कलेम मनीराम के 1/4 हिस्सा में वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब घोषणा की जावे जबाब दोगा मय काउन्टर कलेम तामिल किया गया

वादीया ने काउन्टर कलेम का जबाब पेश किया की सशालित हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम दिनांक 9.9.2005 का प्रभाव पूर्ववती नही बल्कि प्रवर्तवती है यदि 20.12.2004 से पूर्व कोई बटवारा या अदालत की लिक्की हो तो इस अधिनियम का प्रभाव होता है आज विवाहित मूँस प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है एवं पतिक मूँस है व दिनांक 20.12.2004 से पूर्व कोई बटवारा या अदालत की लिक्की नही है इंसलिये विवाहित मूँस में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का जन्म से ही अपन पित्त के साथ बहिब का हक व हिस्सा है काउन्टर कलेम खरिज कर वाद वादीया लिक्की करमाया जावे । जबाब काउन्टर कलेम तामिल किया जाकर वादीया के वाद जबाब काउन्टर कलेम/प्रतिवादी के जबाब काउन्टर कलेम के आधार पर निम्नप्रकार से तनकीआत कायम की गई ।

1. आया विवाहित मूँस तक 3 बारानी तहसील नोहर की 12.3970 हैव मूँस में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काइतकार है ।
2. आया कि प्रतिवादी संख्या 1 के खिलफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकायी है ।
3. आया विवाहित मूँस बाबत दिनांक 20.12.2004 से पूर्व को कोई बटवारा या अदालत की लिक्की नही है ।
4. आया वादीया मनीराम के 1/4 हिस्सा में 1/5 हिस्सा की घोषणा करवाने की अधिकायणी है ।
5. आया विवाहित मूँस पर वादीया का कब्जा नही है ।
6. दादरसी

तनकी कायम की जाकर उभयपक्षों के साक्ष्य हेतु निर्देशित किया गया वादीया ने साक्ष्य में अपना दावा पेश किया प्रतिवादीगण को साक्ष्य का बार बार अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्य पेश नही करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये जाकर उभयपक्षों की बहस खती गई ।

वकील वादीया के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अतिकल तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की येही मौजा तक 3 बारानी के 5070/353(78) किल्ला न० 23/0.253, 5070 340/354(120) किल्ला न० 25/0.253, 5070 341/354(121) किल्ला न०

नायक निवासी मलवाणी के नाम से दर्ज है जो वादीया का दादा है अर्थात् वाद भूमि पूर्व में मौजा एक 3 बरानी पेशा की गई जिसके अनुसार वाद भूमि पूर्व में जंतराम पुत्र बंजा जालि साहित करने के लिये वर्तमान जमाबन्दी रोही मौजा एक 3 बरानी एवं पर्वा खतौनी रोही तनकी को 1-1-70 को साहित करने का भार वादीया पर था वादीया ने तनकी को

निम्नप्रकार से है :-

इसने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया तनकी वार विवेचन खारिज किया जाकर काउन्टर कलेम डिक्री फरमाया जावे।

1/4 हिस्सा में वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब धोषणा की जावे वादीया का वाद अपना हिस्सा की धोषणा करवा पाने की अधिकारी है जसिये काउन्टर कलेम मनीराम के है इसलिये वादीया का उक्त 1/4 हिस्सा में वादीया मात्र मनीराम के 1/4 हिस्सा के ही बहिब हिस्सा था इसलिये मनीराम 1/4 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का 3/4 बहिब हिस्सा फल हुआ है उस दीन मनीराम पुत्र जंतराम व कृष्ण जीतराम , पुखी पि0 मनीराम कका कोई हक व हिस्सा नहीं है जंतराम सन 2005 से पूर्व फल हुआ है जिस दिन जंतराम लाने का अधिकार नहीं है वादीया ने जिस भूमि का दावा पेश किया है उसमें वादीया का का वाद चलने योग्य नहीं है प्रतिवादीगण रिकार्ड्ड खतौदार काश्तकार है वादीया का वाद कब्जा नहीं है ना ही वादीया का वाद भूमि में कोई हक हिस्सा है कब्जा के अभाव में वादीया काउन्टर कलेम में अधिकतम बहसों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादीया का वाद भूमि पर वकील प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब की धोषणा करवा पाने की अधिकारी है वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावे।

भूमि में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब 1/3 हिस्सा के खतौदार काश्तकार है वादीया का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा एक 3 बरानी की कुल 12.3970 है व बहिब का हक व हिस्सा है काउन्टर कलेम खारिज कर वादीया डिक्री फरमाया जावे।

विवादित भूमि में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का जन्म से ही अपने पिता के साथ भूमि है व दिनांक 20.12.2004 से पूर्व कोई बटवारा या अदागत की डिक्री नहीं है इसलिये अधिनियम का प्रभाव होता है आज विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है एवं धैरिक बालक परयातवती है यदि 20.12.2004 से पूर्व कोई बटवारा या अदागत की डिक्री हो तो इस संशोधित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम दिनांक 9.9.2005 का प्रभाव पूर्ववती नहीं प्रकार से मुन्ताकिल नहीं करे।

संख्या 1 को पाबन्द करवाने की अधिकारी है कि वह वाद भूमि को रहन बेय या अन्य किसी भी रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्ताकिल कर सकता है इसलिये वादीया प्रतिवादी असार में इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 वाद भूमि अपने नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर कमी प्रतिवादी संख्या 1 की मानसिक स्थिति नहीं है वह प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है

खतौदारी अधिकारों का हनन होता है वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से लेकिन राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादीया के नाम से दर्ज नहीं होने के कारण वादीया के वादीया एवं प्रतिवादीगण अपने हक हिस्सा की भूमि को काश्त करते आ रहे है अपने पिता के साथ बहिब का हक हिस्सा है।

पर विस्तारन से प्राप्त हुई है जिसमें वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का जन्म से ही विवादित भूमि धैरिक जददी जायदाद है जो प्रतिवादी न0 1 को अपने पिता के फल होने 1 वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का पिता परिवार का मुखिया एवं कर्ता खानदान है वादीया एवं प्रतिवादीगण समुक्त हिन्दू खानदान परिवार के सदस्य है प्रतिवादी संख्या 1/3 हिस्सा के काबिल खतौदार काश्तकार है।

075 है व 10पु0 रास्ता कुल 12.3970 है व भूमि में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब 341/355(130) किला न0 1, 2/0.5060 है व 40न0 0 मु0न0 483/109 किला न0 0 कि 0. 40न0 342/355(129) किला न0 1 ता 4, 7 ता 9, 12 ता 19, /3.7950 है व 40न0 8070 है व 40न0 342/355 (129) किला न0 1 ता 4, 7 ता 9, 12 ता 19 कुल 3.7950 है व 15 ता 25/2.7080 है व, 40न0 342/354(122) किला न0 1 ता 3, 7 ता 14, 17 ता 24/4.

वादीया का पिता है के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि वादीया के दादा
हुई है जो प्रसृत वर्तमान जमाबन्दी से पूर्णतया साबित है अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 जो
विरासन से उसके पुत्रों फरखाराम, मनीराम, कुरखाराम के नाम विरासन से बहिष
दादा जौराम पुत्र बैना के नाम से दर्ज थी जिनके फल ही जाने के बाद बाद भूमि
मलवाणी के नाम से दर्ज है जो वादीया का दादा है अर्थात् बाद भूमि पूर्व में वादीया के
पुत्र की गई जिसके अनुसार बाद भूमि पूर्व में जौराम पुत्र बैना जति नायक निवासी
उपर्युक्त विवेचन से साबित हो चुका है कि पदा खतौनी रोड़ी मौजा तक 3 बारासी
की जाती है।

कच्चा नहीं है मात्र कथन किया गया है अतः तनकी नं 5 भी प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय
कोई साक्ष्य सर्जित नहीं किया गया जिससे यह साबित हो की वादीया का बाद भूमि पर
तनकी नं 5 - 5 - को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादी ने ऐसा
पान के कारण तनकी नं 4 प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय की जाती है।


से भूमि पान के अधिकारी है अतः तनकी नं 4 प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा साबित नहीं कर
बराबर का एक हिस्सा पान की अधिकारी है जो की कबल प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में
कारण धैरक सम्पत्ति होना पूर्णतया साबित है धैरक सम्पत्ति में वादीया अपने पिता के साथ
विरासन से प्रतिवादी संख्या 1 के साथ से दर्ज हुई है अर्थात् विरासन से दर्ज होने के
योग्य ही है प्रसृत साक्ष्य सर्जित क अनुसार बाद भूमि वादीया के दादा के देहान्त होने पर
वादीया प्रतिवादी संख्या 1 के 1/4 हिस्सा में से 1/5 हिस्सा पान की अधिकारी है स्वीकार
तनकी नं 4-4- को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था प्रतिवादी का कथन है
की जाती है।

पुत्र नहीं किया गया है अतः साक्ष्य सर्जितों के आधार से तनकी नं 3 वादीया के पक्ष में तय
संख्या 1 के द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य बटवारा या न्यायालय की हिकी होने के सम्बन्ध में
उक्त अधिनियम का प्रभाव नहीं होगा अन्यथा उक्त अधिनियम पूर्णतया प्रभावी है प्रतिवादी
है अर्थात् किसी न्यायालय की हिकी या बटवारा उक्त अधिनियम से पूर्व में हुआ होता तो
उत्तराधिकार अधिनियम संशोधित दिनांक 09.09.2005 प्रभाव पूर्ववर्ती नहीं बल्कि पश्चात्वाती
की कोई बटवारा या किसी न्यायालय की हिकी जाती है जो वादीया के दादा के जन्म के हिन्दू
4.5 ने ऐसा कोई साक्ष्य सर्जित नहीं किया गया है कि बाद भूमि का पूर्व में किसी प्रकार
तनकी नं 3 - 3 - को साबित करने का भार भी वादीया पर था प्रतिवादी संख्या 1
के पक्ष में तय की जाती है।

तक बाद भूमि की यथास्थिति बनाई रखी जानी चाहते है अतः तनकी नं 2 - भी वादीया
देता है तो वादीया की अपूर्णतया क्षति हो सकती है इसलिए वादीया के हकों की धारणा होने
वादीया के हकों की धारणा होने से पूर्व यदि प्रतिवादी संख्या 1 बाद भूमि को खर्च बर्त कर
संख्या 1 बाद भूमि को रहन बेष कर या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल कर सकता है
राजस्व रिकार्ड में बाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिसके कारण प्रतिवादी
साबित हो चुका है कि वादीया बाद भूमि में एक हिस्सा है जो बाद में तय होना है वर्तमान
तनकी नं 2-2- को साबित करने का भार भी वादीया पर था तनकी नं 1 में यह
में तय की जाती है।

तनकी नं 1 साक्ष्य सर्जितों के आधार पर साबित होने के कारण तनकी नं 1 वादीया के पक्ष
होगा। अर्थात् बाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 तो 5 बहिष के हकदार है इस प्रकार
वादी का एक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का एक हिस्सा
होना साबित है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार धैरक सम्पत्ति में
दर्ज हुई है विरासन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण धैरक सम्पत्ति
जौराम पुत्र बैना के देहान्त होने के बाद विरासन से राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खाला में
वादीया का पिता है के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि वादीया के दादा
दर्ज हुई है जो प्रसृत वर्तमान जमाबन्दी से पूर्णतया साबित है अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 जो
भूमि विरासन से उसके पुत्रों फरखाराम, मनीराम, कुरखाराम के नाम विरासन से बहिष
वादीया के दादा जौराम पुत्र बैना के नाम से दर्ज थी जिनके फल ही जाने के बाद बाद

सूचना



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

सूनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 06/05/2020 को भरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास में जाकर दायित्व रफ्तार हो।

की जाकर शामिल निम्न की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तारीख तकमील किया जावे अथवा उपरोक्त अर्जा अर्जा बहन करण। इसी आधार की पूर्ण डिक्री जारी अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के बहन हो तो बाद रहनसुबन राजस्व रिकार्ड में अंकन 1/3 हिस्सा के खातेदार कोषित किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में 075हैच 10घुं0 रास्ता कुल 12.3970हैच भूमि में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब 341/355(130) किला न० 1, 2/0.5060हैच 40न० 0 घुंन० 483/109 किला न० 0 कि 0. 7950हैच 40न० 342/355(129) किला न० 1 ता 4, 7 ता 9, 12 ता 19, /3.7950हैच 40न० 24/4.8070हैच 40न० 342/355 (129) किला न० 1 ता 4, 7 ता 9, 12 ता 19 कुल 3. न० 15 ता 25/2.7080हैच, 40न० 342/354(122) किला न० 1 ता 3, 7 ता 14, 17 ता 40 23/0.253, 40न० 340/354(120) किला न० 25/0.253, 40न० 341/354(121) किला जाकर धाषणा की जाती है कि यही मौजा एक 3 बायानी के 40न० 342/353(78) किला अतः बाद वादीया साक्ष्य सभुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया बाद काबिल डिक्री है।

होगा। अर्थात् बाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब के हकदार है वादीया का वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियाँ को बराबर का हक हिस्सा होने साबित है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पौतक सम्पत्ति में दर्ज हुई है विरासन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पौतक सम्पत्ति जेठाराम पुत्र चौना के देहान्त होने के बाद विरासन से राजस्व रिकार्ड में सयुक्त रूप से

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

(Handwritten mark)

की गई।

पदाधिकारी आज दिनांक 06/03/2020 को मरुतखाने एवं कार्यालय मुदा से जाते राजस्व रिपोर्ट में अंकन किया जावे मरुतखाने अपना अपना बहन करने। अर्थात् राजस्व रिपोर्ट में अंकन किया जावे। यदि मरुतखाने के बहन हो तो वाद रहनेमुक्त संख्या 1 ता 5 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार कार्यालय धारित किया जाता है इसी किला नं 0 कि 0.075 हेक्टा 10 मी 0 रस्ता कुल 12.3970 हेक्टा मरुतखाने एवं प्रतिवादी / 3.7950 हेक्टा 40 मी 0 रस्ता कुल 1.2 / 0.5060 हेक्टा 40 मी 0 रस्ता कुल 483 / 109 9.12 ता 19 कुल 3.7950 हेक्टा 40 मी 0 रस्ता कुल 342 / 355 (129) किला नं 0 1 ता 4, 7 ता 9, 12 ता 19 1 ता 3 7 ता 14, 17 ता 24 / 4.8070 हेक्टा 40 मी 0 रस्ता कुल 342 / 355 (129) किला नं 0 1 ता 4, 7 ता 19, 40 मी 0 रस्ता कुल 341 / 354 (121) किला नं 0 15 ता 25 / 2.7080 हेक्टा, 40 मी 0 रस्ता कुल 342 / 354 (122) किला नं 0 40 मी 0 रस्ता कुल 342 / 353 (78) किला नं 0 23 / 0.253, 40 मी 0 रस्ता कुल 340 / 354 (120) किला नं 0 25 / 0.253 कार्यालय वादी अधिकारी किया जाकर धारण की जाती है कि यही मौजा तक 3 धारण की पर वाद वादी साक्ष्य सखी एवं प्रतिवादी मरुतखाने की सहमति के आधार पर साबित होने के अधिवक्ता वादी एवं प्रोकर राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने आज यह वाद मुदा मरुतखाने कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष राजस्व वाद संख्या 182 ता 2014 निर्णय दिनांक- 06/03/2020

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काबलकारी अधिनियम 1955

प्रतिवादी मरुतखाने

7. उप पक्षीयक नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान राज्य जलिय तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. हिमला पुत्री मनीराम पत्नी मनीराम जाति नायक साकिन अरवकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. पुत्री पुत्र मनीराम जाति नायक साकिन मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. जौनाराम पुत्र मनीराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. कृष्ण पुत्र मनीराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
1. मनीराम पुत्र जौनाराम जाति नायक साकिन मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

बनाम

वादी मरुतखाने

जिला हनुमानगढ़।

1. यौनानी पुत्री मनीराम पत्नी मनीराम जाति नायक निवासी अरवकी तहसील नोहर

अनवाम :-

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

(आडूर 20, कुल 6-7 जाणा दिवानी)

पदाधिकारी